न्यायालय : कु. मधुलिका मुले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

कमांक / 333/2025 जिला गुना, दिनांक 01.04.2025

– :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह अप्रैल 2025::–

माह अप्रैल 2025 के अधोलिखित सार्वजनिक अवकाशों में गुना जिला एवं आरोन, राघौगढ, चांचौड़ा तहसील न्यायिक स्थापना पर अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमांड डयूटी नियत की जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवस को **दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे** के मध्य रिमांड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

– ::जिला न्यायिक स्थापना–गुना ::–

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह अप्रैल 2025
1	श्रीमती श्रुति चौहान	06-04-2025
2	श्री यश दुबे	10-04-2025
3	श्री सुरेश बारगीया	13-04-2025
4	श्री चेतन बजाड़	14-04-2025
5	श्री डालचंद	18-04-2025
6	श्री राजकुमार तोरनिया	19-04-2025
7	श्रीमती ऋतु श्री गुप्ता	20-04-2025
8	सुश्री आयुषी मित्तल	27-04-2025

— ::तहसील न्यायिक स्थापना—राघौगढ़ ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह अप्रैल 2025
1	श्री आशीष शर्मा	18-04-2025 19-04-2025 20-04-2025 27-04-2025
2	श्री रवि तंवर	06-04-2025 10-04-2025 13-04-2025 14-04-2025

— ::तहसील न्यायिक स्थापना—चांचौड़ा ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह अप्रैल 2025
1	सुश्री प्रियम सेन	10-04-2025 13-04-2025 14-04-2025 27-04-2025
2	श्रीमती डिम्पल कश्यप	06-04-2025 18-04-2025 19-04-2025 20-04-2025

सामान्य नोट—

1— माह अप्रैल **2025** के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त अन्य किसी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड डयूटी हेतु नियुक्ति मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में गुना, चांचौड़ा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्युटी का निष्पादन **माह अप्रैल 2025** क्रमशः **श्री यश दुबे/श्री आशीष शर्मा/श्रीमती डिंपल कश्यप** द्वारा किया जावेगा।

2— आरोन स्थापना पर स्थानांरित मजिस्ट्रेट के स्थान पर आने वाले नवीन मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी तथा उनके अवकाश पर रहने की दशा में जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

3– उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड डयूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड डयूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

4– सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड डयूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5– सार्वजनिक अवकाश दिवस में रिमाण्ड डयूटी के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्य का संपादन किया जाता है। अतः रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक कार्य हेतु गरिमा अनुरूप उचित गणवेश रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान धारित करेंगे।

6– समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफतारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड डयूटी हेतु नियत समय 03.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड डयूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड डयूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड डयूटी करने वाले मजिस्टेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विशेष :– **यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।**

(कु. मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

पृ.क्र.:– /2025 गुना, दिनांक 01.04.25

प्रतिलिपि :– (ईमेल–मेसेज द्वारा)

1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3- जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
6- पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बावत्।

7- जेल अधीक्षक जिला गुना, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना गुना/आरोन/ राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई–मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।

(कु. मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

अनुमोदित
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
गुना (म.प्र.)

न्यायालय : कु. मधुलिका मुले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–गुना (म.प्र.)

कमांक / 382/25 गुना, दिनांक : 01.04.2025

::वीडियो कान्फ्रेसिंग ड्यूटी आदेश ::

माह अप्रैल **2025 में सोमवार से शनिवार** में अधोलिखित कार्य दिवस में वीडियो कान्फ्रेसिंग ड्यूटी के दौरान निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना द्वारा दोपहर 02:00 बजे से 02:30 बजे के मध्य किया जाना है :–

क.	नाम अधिकारी	वार
1	श्रीमति श्रुति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	**सोमवार**
2	श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	**मंगलवार**
3	श्री सुरेश बारगीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	**बुधवार**
4	श्री चेतन बजाड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	**गुरूवार**
5	श्री डालचंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	**शुक्रवार**
6	सुश्री आयुषी मित्तल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	**शनिवार**

नोट– उक्त वीडियो कान्फ्रेसिंग डयूटी में कोई संशोधन नहीं किया जावेगा, किन्तु किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने की दशा में उक्त ड्यूटी वर्तमान प्रचलित कार्यविभाजन पत्रक अनुसार की जावेगी।

(कु. मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला गुना (म.प्र.)

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
सत्यमेव जयते
गुना (म.प्र.)